न्यायालय :– सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (पन्द्रहवें) जिला जबलपुर (म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी : विवेक कुमार पाठक)

Registration No.	MACC 7587/2024
CNR No	MP2001-034541-2024
Filing No.	MACC/12077/2024
Date Of Filing	05-09-2024

आशीष कुमार ताम्रकार पिता गुलाब चंद ताम्रकार, उम्र–22 वर्ष,
स्थायी निवासी–म.नं.–67, पोस्ट आफिस रोड, अर्जुन गुप्ता हाउस के पास, बैढ़न, सिंगरौली, विधान, सिंगरौली, (म.प्र.) 486886
हाल मुकाम– सुभाष नगर, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, महाराजपुर, अधारताल, जिला जबलपुर म.प्र.

.... **आवेदक**

विरूद्ध

1. श्रवण कुमार सेन पिता रामलला सेन,
निवासी– वार्ड नं.–40, सत्याहोटल के पास, बैढ़न, सिंगरौली, विधान, सिंगरौली, (म.प्र.) 486886
(चालक वाहन क्रमांक–एम.पी.–66–सी.–3129)

2. आकांक्षा दुबे पिता प्रवीण कुमार दुबे,
निवासी–म.नं.–बी–722–निगाही प्रोजेक्ट एन.सी.एल. कालोनी, निगाही, अस्पताल के पास, निगाही कालोनी, गोपदनास, जिला सीधी (म.प्र.) 486886
(मालिक वाहन क्रमांक–एम.पी.–66–सी.–3129)

3. दि न्यू इंडिया इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड,
द्वारा–प्रबंधक महोदय जबलपुर म.प्र.
पता–668, रसल चौक जबलपुर म.प्र. 482001
(बीमा कंपनी वाहन क्रमांक–एम.पी.–66–सी.–3129)

.... **अनावेदकगण**

आवेदक द्वारा	श्री रविशंकर शर्मा अधिवक्ता।
अनावेदक क्र. 01 व 02 द्वारा	श्री आलोक तिवारी अधिवक्ता।
अनावेदक क्र. 03 द्वारा	श्री जे.पी. सोनी अधिवक्ता।

–:: अधिनिर्णय ::–

।। आज दिनांक 12.08.2026 को पारित ।।

01. आवेदक के द्वारा यह दावा याचिका अनावेदकगण के विरुद्ध धारा 166 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 26.05.2024 को इंडियन काफी हाउस के पास, अंतर्गत थाना बैढ़न, जिला सिंगरौली (म.प्र.) में रात्रि के करीब 11:30 बजे अनावेदक क्र. 02 के स्वामित्व के वाहन क्रमांक–एम.पी.–66–सी–3129 को अनावेदक क्र. 01 द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर कारित दुर्घटना में आवेदक/आहत को आई चोटों/स्थाई विकलांगता के संबंध में अनावेदकगण से संयुक्ततः अथवा पृथक–पृथक रूप से बतौर क्षतिपूर्ति 19,50,000/–रुपये (उन्नीस लाख पचास हजार रूपये) क्षतिपूर्ति राशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

02. आवेदक की ओर से प्रस्तुत दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि दुर्घटना दिनांक–26.05.2024 को आवेदक अपने साथी की मोटरसायकिल क्रमांक–एम.पी. –66–जेड.ए.–2204 में पीछे बैठकर बलियारी तरफ से अपने अन्य साथी को छोडने गनियारी जा रहा था और समय रात्रि करीब 11:30 बजे इंडियन कॉफी हाउस के पास पंहुचा था उसी समय सामने तरफ से आ रहे तेज रफ्तार वाहन एम.पी.–66–जेड.ए. –2204 के चालक ने अपने वाहन को लहराते हुये तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए आवेदक के साथी की मोटर सायकिल को जोरदार टक्कर मार दी गई, जिससे आवेदक अपने साथी सहित सड़क पर गिर गया था और आवेदक को दाहिने गाल, दाहिने छाती, गले एवं शरीर के अन्य भागो में गंभीर चोटे आई थीं। घटना स्थल से आवेदक को ईलाज के लिये तत्काल ट्रामा सेंटर ले जाया गया जहां से आवेदक को गंभीर चोटें होने के कारण हीरावती अस्पताल रिफर कर दिया गया था। आवेदन अनुसार उक्त अस्पताल में आवेदक का एक्स–रे परीक्षण करने के उपरांत पाया गया कि आवेदक को दाहिने गाल में, दाहिने छाती और गले में गंभीर चोंटे आई थी और

इसलिए बाद में बेहतर ईलाज के लिये आवेदक को जामदार अस्पताल जबलपुर में भर्ती किया गया जहां आवेदक के दाहिने गाल में, दाहिने छाती व गले की गंभीर चोंटों का ऑपरेशन कर ईलाज किया गया। आवेदन अनुसार दुर्घटना की सूचना अस्पताल द्वारा थाना–बैढन, जिला सिंगरौली में दी गई थी, जिस पर पुलिस ने जांच करते हुये दिनांक–27.05.2024 को अपराध क्र.–773/2024, अंतर्गत धारा 279, 337, भा.द.वि. का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

03. आवेदक की ओर से अपने दावे में यह भी अभिवचन किये गये हैं कि दुर्घटना के पूर्व आवेदक शारीरिक व मानसिक रूप से हष्ट–पुष्ट व स्वस्थ होकर किसी भी रोग या बीमारी से पीडित नहीं था और प्रायवेट कार्य करके 15,000/–रूपये प्रतिमाह की आय अर्जित करता था जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था, किंतु उक्त दुर्घटना में आवेदक को आई चोटो के कारण वह विकलांग हो गया है जिससे वह अपना कार्य नहीं कर पा रहा है तथा जिससे उसे व उसके परिवार को आर्थिक, मानसिक व शारीरिक परेशानीयों का सामना करना पड रहा है, अतः आवेदक को अनावेदकगणों से संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से क्षतिपूर्ति राशि 19,50,000/– रुपये 12 प्रतिशत ब्याज सहित दिलाए जाने का निवेदन किया गया है।

04. प्रकरण में अनावेदक क्र. 01 व 02 के द्वारा याचिका का जवाब प्रस्तुत करते हुये सारतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत क्लेम याचिका के समस्त अभिवचनों को अस्वीकार किया गया है तथा यह व्यक्त किया गया है कि अनावेदकगण की लापरवाही से कोई भी घ टना कारित नहीं हुई है और न ही वाहन क्र. एम.पी.–66–सी.–3129 से आवेदक की कोई दुर्घटना कारित की गई है, आवेदक द्वारा झूंठे एवं मनगढ़ंत आधारों पर यह दावा प्रस्तुत किया गया है, अनावेदक क्र. 01 वैध लाईसेंसधारी है, चूंकि घटना दिनांक को उक्त प्रश्नगत वाहन अनावेदक क्र. 03 की बीमा कंपनी के यहां बीमित था, जिस कारण क्षतिपूर्ति के भुगतान का उत्तरदायित्व अनावेदक क्र. 03 बीमा कंपनी का है। अतः उक्त आधारों पर अनावेदक क्र 01 व 02 को क्षतिपूर्ति के उत्तरदायित्व से उसे मुक्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

05. अनावेदक क्र. 03 की बीमा कंपनी द्वारा याचिका का जवाब प्रस्तुत करते हुये सारतः यह व्यक्त किया गया है कि आवेदक के साथ घटना होने, उसके ईलाज एवं उसकी आय व उम्र संबंधी तथ्यों की जानकारी ना होने से अभियोजन अस्वीकार है तथा आवेदक को दुर्घटना के फलस्वरूप आई चोटों से स्थाई विकलांगता कारित होने के तथ्य को भी अस्वीकार किया गया है। अनावेदक क्र. 03 बीमा कंपनी के द्वारा आवेदक के साथ वाहन क्र. एम.पी.–66–सी.–3129 के चालक के द्वारा लापरवाहीपूर्वक चलाये जाने से दुर्घटना होने के तथ्य को भी अस्वीकार किया गया है तथा यह भी व्यक्त किया गया है कि प्रकरण में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 158(6) के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया है

और यदि दुर्घटनाकर्ता वाहन के चालक व स्वामी के द्वारा प्रकरण में बचाव नहीं किया जाता है एवं वे अनुपस्थित रहते हैं, तो मोटरयान अधिनियम की धारा 149(2) के तहत बीमा कंपनी अपना अधिकार सुरक्षित रखती है। जवाब आवेदन के अनुसार प्रकरण में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक के पास घटना दिनांक को वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेंस नहीं था, जो बीमा शर्त का स्पष्ट उल्लंघन है, इस कारण बीमाकंपनी क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी नहीं है। घटना दिनांक को आवेदक हेलमेट नहीं लगाया था तथा आवेदक द्वारा अनावेदक वाहन चालक व मालिक से दुरभिसंधि कर दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के रूप में प्रश्नगत वाहन को झूठे तरीके से संलिप्त किया किया गया है। प्रकरण में योगदायी उपेक्षा थी, अतः ऐसी दशा में बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी नहीं है, किन्तु उपरोक्त के पश्चात् भी बीमाकंपनी को क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु उत्तरदायी माना जाता है, तो अंशदायी उपेक्षा के तहत तथा आयकर अधिनियम की धारा 194–ए(3)(x) और धारा 288(ए) तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानानुसार कटौती किये जाने का निवेदन किया गया है।

06. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा निम्नलिखित वाद प्रश्न निर्मित किये गये थे, जिन पर निष्कर्ष पश्चात्वर्ती विवेचना अनुसार अंकित किए गए है :–

क्र.	**वादप्रश्न**	**निष्कर्ष**
1.	क्या अनावेदक क्रमांक–1 ने अनावेदक क्रमांक–2 के स्वामित्व के वाहन क्रमांक एम.पी.–66–सी–3129 को दिनांक 26.05.2024 को समय रात्रि करीब 11:30 बजे स्थान इंडियन काफी हाउस के पास बैढ़न में उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर आवेदक/आहत आशीष ताम्रकार को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की ?	**"प्रमाणित"**
2.	क्या उपरोक्त दुर्घटना से आयी चोटों के परिणामस्वरूप आवेदक/आहत आशीष ताम्रकार को गंभीर उपहति/विकलांगता कारित हुई ?	**"10 प्रतिशत विकलांगता"**
3.	क्या अनावेदक क्र. 1 बिना वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति धारण किये प्रासंगिक समय पर वाहन क्रमांक एम.पी.–66–सी–3129 को चला रहा था ? यदि हां तो प्रभाव ?	**"प्रमाणित नहीं"**

4.	क्या, दुर्घटना में लिप्त उपरोक्त वाहन बीमा की शर्तों के उल्लंघन में चलाया जा रहा था ?	**''प्रमाणित नहीं''**
5.	क्या आवेदक के मोटर सायकिल चालक की दुर्घटना में अंशदायी एवं योगदायी उपेक्षा थी ?	**कंडिका क्र. 28 के अनुसार**
6.	क्या आवेदकगण, अनावेदकगण से संयुक्त रूप से अथवा पृथक–पृथक क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी है ? यदि हां तो किससे एवं कितनी ?	**कंडिका क्र. 39, 40 के अनुसार**
7.	सहायता एवं व्यय ?	**कंडिका क्र. 41 के अनुसार**

<u>–:: निष्कर्ष के आधार ::–</u>

<u>–:: वाद प्रश्न क्रमांक 01 का निष्कर्ष एवं उसके आधार ::–</u>

07. उक्त वाद प्रश्न के संबंध में यह अवलोकनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **अनीता शर्मा विरुद्ध न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (2021) 1 एस.सी.सी. 171** के न्यायदृष्टांत में यह अवधारित किया गया है कि दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य का प्रमाणन स्तर क्या होगा ::–

> This approach of the High Court is mystifying, especially in light of this Court's observaton as set out in Parmeshwari Vs. Amir Chand, (2011) 11 SCC 635 and reiterated in Mangla Ram Vs. Oriental Insurance Co. Ltd., (2018) 5 S.C.C. 656 that the strict princpled of proof in a criminal case will not be applicable in a claim for compensation under the Act and further, that the standard to be followed in such claims is one of preponderance of probability rather than one of proof beyond reasonable doubt.

इसी प्रकार माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा भी **अनिल तिवारी विरुद्ध साहेब सिंह, 1999 एस.सी.सी. ऑन लाईन म.प्र. 270 : (2000) 1 एम. पी.एल.जे. 59** के न्यायदृष्टांत में यह अवधारित किया गया है कि ''<u>दांडिक प्रकरण के दस्तावेजों को कठोरता से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है</u>।''

We do not find any force in this argument. these are authenticated copies which were obtained through the Court after payment of necessary charges as deposed by Anil Tiwari (A.W.2), who also proved the receipt Ex. P. 3, evidencing payment of copying charges. That strict proof of these documents is not required in claims cases under the Motor Vehicles Act, is the view which has been consistently taken by Courts. reference may be made to <u>Rajasthan State Road Transport Corporation Vs. Devilal, 1991 ACJ 230</u>, in which this matter has been dealt in detail.

08. इस प्रकार उक्त न्यायदृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य का विवेचन किया जा रहा है कि आवेदक पक्ष द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत की गई साक्ष्य किस सीमा तक ग्राह्य है ?

09. उक्त वाद प्रश्न के संबंध में आवेदक आशीष ताम्रकार (आ.सा.–01) ने अधिकरण के समक्ष दिये गए मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक 26.05.2024 समय रात्रि लगभग 11:30 बजे इंडियन कॉफी हाउस के पास बैढ़न, जिला सिंगरौली म.प्र. की है। साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को वह अनुराग पाल के साथ उसकी गाड़ी में पीछे बैठकर बलियरी रोड से घर जा रहा था और जैसे ही वे लोग इंडियन कॉफी हाउस के पास पहुंचे तभी रॉन्ग साइड से आ रही सफेद रंग की सफारी क्र. एम.पी.–66–सी–3129 के चालक ने उक्त वाहन को तेजगति से चलाते हुए उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी थी, जिससे वह और अनुराग गाड़ी से गिर गये थे और उसे उक्त घटना में छाती, गाल, सिर, हाथ, पैर में चोट लगी थी। साक्षी के अनुसार दोस्तों के फोन करने पर उसके घर वाले उसे जिला सरकारी अस्पताल ट्रामा सेंटर लेकर गये थे, जहां आराम न लगने के कारण उसे सिंगरौली हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां वह 02–03 दिन भर्ती रहा था परन्तु उक्त अस्पताल में भी आराम न लगने के कारण उसे उसके परिवार वाले जामदार अस्पताल जबलपुर लेकर आये, जहां पर वह करीब 15–20 दिन भर्ती रहा था और उसकी चोटों का ऑपरेशन कर दाए हाथ में रॉड डाली गई थी तथा दाहिने पैर की सर्जरी हुई थी, जिसके बाद वह मेडिजोन अस्पताल में भी 15–20 दिन भर्ती रहा था। साक्षी के अनुसार उक्त समस्त इलाज में उसका लगभग 15–20 लाख रूपये का खर्चा आया था।

10. उक्त आवेदक साक्षी के द्वारा दावे के समर्थन में दाण्डिक प्रकरण की सत्य प्रतिलिपियां जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी.–1, अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श पी.–2, अपराध विवरण फार्म प्रदर्श पी.–3, संपत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्श पी.–4, 41–क का

नोटिस प्रदर्श पी.–5 एवं 6, धारा 133 का नोटिस प्रदर्श पी.–7, सिंगरौली अस्पताल का दस्तावेज प्रदर्श पी.–8, पुलिस सान्हा प्रदर्श पी.–9, सिंगरौली अस्पताल की जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी.–10 लगायत प्रदर्श पी. 20, सरकारी अस्पताल सिंगरौली के दस्तावेज प्रदर्श पी.–21 व 22, जामदार अस्पताल के जांच रिपोर्ट एवं दस्तावेज प्रदर्श पी.–23 लगायत प्रदर्श पी. 26, पुलिस कथन प्रदर्श पी.–27 लगायत प्रदर्श पी. 31, सिंगरौली अस्पताल का डिस्चार्ज कार्ड प्रदर्श पी.–32, सिंगरौली अस्पताल एवं दवाईयों के बिल प्रदर्श पी.–33 लगायत प्रदर्श पी. 44, त्रिवेणी अस्पताल (जामदार) का डिस्चार्ज कार्ड प्रदर्श पी.–45, अस्पताल एवं दवाईयों के बिल प्रदर्श पी.–46 कुल तीन पृष्ठ में तथा अन्य बिल प्रदर्श पी. 47 लगायत प्रदर्श पी. 61, मेडिजोन अस्पताल का डिस्चार्ज कार्ड प्रदर्श पी.–62, मेडिजोन अस्पताल एवं दवाईयों के बिल प्रदर्श पी.–63, विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.–64, विक्टोरिया अस्पताल की रसीद प्रदर्श पी.–65 प्रस्तुत किये गए है।

11. इस प्रकार उक्त दस्तावेजों के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि थाना बैढन में उक्त दुर्घटना के अन्वेषण के दौरान यह तथ्य प्रमाणित पाया गया है कि दुर्घटना दिनांक 26.05.2024 को समय रात्रि करीब 11:30 बजे स्थान इंडियन काफी हाउस के पास बैढ़न, जिला सिंगरौली (म.प्र.) में अनावेदक क्र. 02 के स्वामित्व के वाहन क्र. एम.पी.–66–सी–3129 को अनावेदक क्र. 01 के द्वारा उपेक्षा या उतावलेपन से चलाते हुए टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप आवेदक को उपहतियां कारित हुयी थी। इस प्रकार आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से भी उसके द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य की पुष्टि होती है और इस संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि अनावेदक पक्ष द्वारा उक्त दस्तावेजों का कोई भी खण्डन प्रस्तुत नहीं किया जा सका है।

12. उक्त आहत/साक्षी आशीष कुमार ताम्रकार (आ.सा.01) के द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकारा गया है कि जिस मोटरसाइकिल से वह जा रहा था वह उसके दोस्त अनुराग पाल की थी और उसे अनुराग की मोटरसाइकिल का नंबर नहीं मालूम है। साक्षी के द्वारा इस सुझाव से इंकार किया गया है कि अनुराग के पास गाड़ी चलाने का लायसेंस नहीं है परन्तु साक्षी के द्वारा यह स्वीकारा गया है कि घ टना के समय उन लोगों ने हेलमेट नहीं पहना था। साक्षी के द्वारा यह भी स्वीकारा गया है कि मोटरसाइकिल में उसके साथ शिवम सोनी भी था और मोटरसाइकिल में वह, अनुराग एवं शिवम बैठे थे तथा वह मोटरसाइकिल में बीच में बैठा था। साक्षी के द्वारा यह स्वीकारा गया है कि घटनास्थल नेशनल हाई वे था और यह भी स्वीकारा गया है कि साक्षी के द्वारा यह स्वीकारा गया है कि रात के समय आने जाने वाहनों की लाईट जली रहती है और सामने से जब वाहन आता है, तो आंखों में चकाचौंध दिखता है, इस संबंध में साक्षी के द्वारा यह भी स्वीकारा गया है कि जब लाईट सामने से पड़ रही थी उस समय ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा वाहन कैसे आ

रहा था।

13. उक्त साक्षी प्रतिपरीक्षण में आगे यह स्वीकारता है कि घटना के समय जो वाहन सामने से आ रहा था वह रॉग साइड से आ रहा था, इस कथन का उल्लेख न तो प्रस्तुत दांडिक प्रकरण के दस्तावेज में है और न ही उसके दावे में है। साक्षी के द्वारा यह स्वीकारा गया है कि जैसे ही टक्कर लगी थी वे तीनों लोग गिर गये थे। साक्षी के द्वारा यह भी स्वीकारा गया है कि टक्कर आमने सामने से हुई थी। साक्षी के द्वारा इस सुझाव से इंकार किया गया है कि उन तीनों को गिरने पर चोट लगी थी इस संबंध में साक्षी का कहना रहा है कि अनुराग को चोट नहीं आई थी, शिवम को और स्वयं उसको चोटें आयी थीं। साक्षी के द्वारा यह स्वीकारा गया है कि शिवम की चोटों के संबंध में कोई दस्तावेज. एम.एल.सी. आदि पेश नहीं है। साक्षी के द्वारा यह भी स्वीकारा है कि जिस मोटरसाइकिल में टक्कर मारी गयी थी वह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी थी और साक्षी के द्वारा यह स्वीकारा गया है कि उक्त क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल पुलिस के द्वारा जप्त किया गया था साथ ही साक्षी के द्वारा यह भी स्वीकारा गया है कि उक्त जप्तशुदा मोटरसाइकिल का जप्तीपत्रक प्रकरण में पेश नहीं किया गया है।

14. साक्ष्य की उक्त विवेचना से यह स्पष्ट दर्शित होता है कि आवेदक/आहत आशीष ताम्रकार (अ.सा. 01) के द्वारा इस संबंध में स्पष्ट कथन किये गए है कि घटना दिनांक को अनावेदक क्र. 1 के द्वारा प्रश्नगत वाहन का तेजी व लापरवाही से चालन कर दुर्घटना कारित की गई थी, जिससे आवेदक/आहत को क्षति कारित हुई तथा साक्षी के उक्त कथन इस संबंध में प्रतिपरीक्षण में पूर्णतः अखण्डित रहे है कि अनावेदक क्र. 1 के द्वारा प्रश्नगत वाहन का चालन तेजी व लापरवाही से किया गया था। इस संबंध में यह भी विचारणीय है कि प्रकरण में अनावेदक क्रमांक–01 व 02 प्रारंभ से ही एकपक्षीय रहे हैं तथा अनावेदक क्रमांक–03 की ओर से खंडन में किसी साक्षी का कथन नहीं कराया गया है और न ही खण्डन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। अतः ऐसी स्थिति में दुर्घटना का तथ्य प्रमाणित पाया जाता है तथा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अखंडित होने से विश्वसनीय पाये जाते हैं। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि न्यायदृष्टांत **''भापू बाई और अन्य विरुद्ध अंतर सिंह और अन्य 2006 ए.सी.जे. 2556 एम.पी.''** में यह धारित किया गया है कि जहां खण्डन में कोई साक्ष्य अनावेदक पक्ष की ओर से साबित न हो, वहां दुर्घटना का तथ्य प्रमाणित माना जायेगा।

15. आवेदक के द्वारा व्यक्त उक्त साक्ष्य के संबंध में यह भी अवलोकनीय है कि न्यायदृष्टांत **''विमलादेवी व अन्य विरुद्ध हिमाचल रोड़ ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एवं अन्य 2009 ए.सी.जे. 1723 एस.सी''** में यह प्रतिपादित किया गया है कि मोटरदावा प्रकरणों में दुर्घटना को केवल संभाविता की सफलता की सीमा तक ही प्रमाणित करना होगा न

कि युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होगा। इसी प्रकार न्यायदृष्टांत **''नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड़ बनाम पुष्पाराणा एवं अन्य 2009 ए.सी.जे. 287''** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दुर्घटना के समय प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण के दस्तावेज इस बात का प्रमाण है कि चालक के द्वारा उपेक्षा बरती गयी। उक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि क्लेम प्रकरण में साक्ष्य का मूल्यांकन अधिसंभावनाओं की बाहुल्यता के आधार पर किया जाना चाहिए न कि आपराधिक मामलों की तरह युक्तियुक्त संदेह से परे मामले को प्रमाणित किये जाने की अपेक्षा की जानी चाहिए।

16. उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण के आधार पर अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आवेदक के द्वारा अपने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित किया गया है कि दुर्घटना दिनांक 26.05.2024 को समय रात्रि करीब 11:30 बजे स्थान इंडियन काफी हाउस के पास बैढ़न में अनावेदक क्र. 01 के द्वारा अनावेदक क्र. 03 के स्वामित्व के वाहन क्र. एम.पी.–66–सी–3129 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाते हुए आवेदक को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की। तद्नुसार **वाद प्रश्न क्रमांक–01** का निष्कर्ष सकारात्मक रूप से **''प्रमाणित है''** के रूप में अंकित किया जाता है।

–:: वाद प्रश्न क्रमांक 02 का निष्कर्ष एवं उसके आधार ::–

17. उक्त वाद प्रश्न के संबंध में आवेदक/आहत आशीष कुमार ताम्रकार (आ.सा.–01) ने अपने अधिकरण के समक्ष हुये कथन में व्यक्त किया है कि उक्त दुर्घटना में उसकी छाती, गाल, सिर, हाथ, पैर में चोट आयी थी और जामदार अस्पताल जबलपुर में उसकी चोटों का ऑपरेशन कर दाए हाथ में रॉड डाली गई थी और दाहिने पैर की सर्जरी हुई थी तथा उक्त दुर्घटना में आयी चोटों के कारण वह विकलांग हो गया है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में उक्त साक्षी के द्वारा प्रस्तुत स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–64 के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक को Locomotor Disability, जो Right Upper Limb and Right Lower Limb के सापेक्ष 55 प्रतिशत होना लेख है। इस प्रकार आवेदक के द्वारा अपने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर दुर्घटना के परिणास्वरूप आवेदक को स्थायी विकलांगता होना दर्शित किया गया है।

18. उल्लेखनीय है कि इस संबंध में अनावेदक क्रमांक 02 बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया कि आवेदक के द्वारा विकलांगता प्रमाण–पत्र को प्रमाणित करने के लिये चिकित्सक का परीक्षण नहीं कराया गया है और न ही इस संबंध की कोई एक्स–रे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, ऐसी स्थिति में आवेदक को स्थायी विकलांगता होना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उक्त तर्क

के संबंध में प्रकरण का अवलोकन करने से दर्शित होता है कि आवेदक के द्वारा जो स्थायी विकलांगता प्रमाण–पत्र प्रदर्श पी–64 अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है, उसके समर्थन में यद्यपि कोई एक्स–रे फिल्म प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही किसी चिकित्सक साक्षी का कथन अधिकरण के समक्ष कराया गया है, परंतु इस संबंध में यह अवलोकनीय है कि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत अन्य चिकित्सकीय दस्तोवजों से दर्शित होता है कि दुर्घटना के परिणामस्वरूप आयी उपहतियों के कारण उसे घोर उपहति कारित हुई है, जिसके संबंध में अभिलेख पर मेडिकल दस्तावेज/बिल प्रस्तुत किए गए है तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श पी 02 में भी अनावेदक क्र. 01 के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 338 भा.द.वि. के अपराध का अभियोग लगाया गया है, जिनका कोई खण्डन अनावेदक पक्ष द्वारा नहीं किया जा सका है, अतः ऐसी स्थिति में अभिलेख पर एक्स–रे फिल्म प्रस्तुत न करने का कोई विपरीत प्रभाव आवेदक के मामले पर नहीं पड़ेगा, साथ ही प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत विकलांगता प्रमाण–पत्र प्रदर्श पी–64 मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑनलाईन प्रमाण–पत्र है जो ऑनलाईन भी उपलब्ध है, जो प्रमाण–पत्र विधिवत् जारी किया जाना दर्शित होता है।

19. जहां तक आवेदक के द्वारा प्रस्तुत स्थायी विकलांगता प्रमाण–पत्र प्रदर्श पी–64 को प्रमाणित करने के लिये उसे जारी करने वाले चिकित्सक का परीक्षण नहीं कराए जाने संबंधी अनावेदक पक्ष के तर्क का प्रश्न है, इस संबंध में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार द्वारा तत्संबंध में जारी की गई अधिसूचना दिनांक 12.03.2024 के अनुरूप प्रदर्श पी–64 का प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिस कारण से उक्त विकलांगता प्रमाण–पत्र को बिना चिकित्सक को परीक्षित कराये भी साक्ष्य में ग्राह्य किया जा सकता है, क्योंकि इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने **न्यायदृष्टांत बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी प्राईवेट लिमिटेड विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य लाईव लॉ 2021 एस.सी. 662** में यह अवधारित किया गया है कि जहां मेडिकल बोर्ड द्वारा आहत का परीक्षण किया गया है, वहां संबंधित विकलांगता प्रमाण–पत्र को प्रमाणित करने के लिए डॉक्टर की औपचारिक साक्ष्य लिया जाना आवश्यक नहीं है। इस न्यायदृष्टांत का सुसंगत अंश निम्नानुसार है :–

> As far as the aspect of the issuance of certificate on disability of victims is concerned, it is reiterated that the guidelines laid down by this Court in Raj Kumar V. Ajay Kumar and Anr (2011) 1 SCC 343 mandatorily must be followed by the MACTs, in respect of loss of income due to injury/disablement. The District Medical Board is also directed to follow the guidelines issued by the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India vide Gazette

Notification S. No. 61, dated 05.01.2018, for issuance of disability Certificate in order to bring Pan India uniformity. The consequence is that the MACT would ascertain that permanent disability certificate issued by the Disrtict Medical Board or body authorized by it is in accordance with the Gazette Notification alone. <u>Once the certificate is issued in this manner, the same can be marked for purposes of being taken into consideration as evidence without the necessity of summoning the concerned witness to give formal proof of the documents unless there is some reason for suspicion on the document.</u>

20. इस प्रकार स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श पी–64 के स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र को प्रमाणित करने हेतु संबंधित चिकित्सक साक्षी की साक्ष्य कराया जाना आवश्यक नहीं है, साथ ही उक्त प्रमाण पत्र के अवलोकन करने से दर्शित होता है कि आवेदक को Locomotor Disability है, जो Post Oprated crush injury ankle with foot with fracture olecranon and ulna right, with operated by ulna platting, olecranon TBW Flap and skin grafting, with union, partial ankylosis, wasting, deformity, partial compromised strenght and stability components. के सापेक्ष 55 प्रतिशत है, इस प्रकार आवेदक के द्वारा अपने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर दुर्घटना के परिणामस्वरूप आवेदक को स्थायी विकलांगता होना प्रमाणित किया है।

21. इस प्रकार स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–64 से दर्शित होता है कि आवेदक को Locomotor Disability है और आवेदक का परीक्षण करने पर यह पाया गया है कि आवेदक की उक्त विकलांगता Post Oprated crush injury ankle with foot with fracture olecranon and ulna right, with operated by ulna platting, olecranon TBW Flap and skin grafting, with union, partial ankylosis, wasting, deformity, partial compromised strenght and stability components. के सापेक्ष 55 प्रतिशत की स्थायी निर्योग्यता है, परंतु उक्त स्थायी निर्योग्यता आवेदक को पूरे शरीर के सापेक्ष नहीं है, बल्कि केवल Right Upper Limb and Right Lower Limb के सापेक्ष है।

22. उल्लेखनीय है कि इस संबंध में अनावेदक क्र. 3 के अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया गया है कि आवेदक/आहत आशीष ताम्रकार (आ.सा.–01) के द्वारा प्रतिपरीक्षण <u>कंडिका 6</u> में यह स्वीकारा गया है कि प्रदर्श पी. 21 की एम.एल.सी. में सिर्फ दो चोटों का उल्लेख है तथा घटना में आहत की छाती, सिर, हाथ व पैर में चोंट आई थी इसका उल्लेख नहीं है, इसी प्रकार यह भी स्वीकारा गया है कि प्रदर्श

पी. 32 सिंगरौली अस्पताल की डिस्चार्ज समरी में आहत के दाहिने अलना में अस्थिभंग दर्शाया गया है इसके अतिरिक्त और कोई चोंट नहीं दर्शायी गई है तथा उक्त दस्तावेज में आहत के पैर में कोई अस्थिभंग होना नहीं दर्शाया गया है तब ऐसे में विकलांगता प्रमाण पत्र में आहत के एंकल में क्रश इंजरी का लेख होने का तथ्य संदिग्ध हो जाता है। उक्त तर्क से सहमत नहीं हो सकता क्योंकि आवेदक/आहत आशीष ताम्रकार (आ.सा.–01) के द्वारा इस संबंध में प्रतिपरीक्षण की <u>कंडिका 7</u> में यह व्यक्त किया गया है कि एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श पी. 26 में एंकल में सूजन का उल्लेख है जिसकी पुष्टि घटना दिनांक 26.05.2024 के तत्काल पश्चात् दिनांक 27.05.2024 के सिंगरौली हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के चिकित्सा अधिकारी द्वारा थाना प्रभारी, थाना बैढ़न जिला सिंगरौली के लेखपत्र प्रदर्श पी. 8 जिसमें क्षति के कॉलम में आहत के सिर और दाहिने हाथ और दाहिने पैर में गंभीर चोंट होना लेख है से भी होती है, उक्त संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि आहत के उक्त सिंगरौली हॉस्पिटल के डॉक्टर डेली रिकॉर्डस में प्रोग्रेस/ट्रीटमेंट रिपोर्ट प्रदर्श पी. 11 में दिनांक 27.05.2024 को आहत के राईट एंकल में लिसरेटेड वुन्ड होना, इसी प्रकार प्रदर्श पी. 20, प्रदर्श पी. 23 से भी राईट एंकल में घाव और चोंट होने का तथ्य लेख है। इसी प्रकार मिडजॉन हॉस्पिटल एण्ड ट्रामा सेंटर के डिस्चार्ज कार्ड प्रदर्श पी. 62 में डायग्नोश के कॉलम में स्पष्ट रूप से राईट एंकल में फ्रैक्चर होना लेख है। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि आहत के द्वारा प्रस्तुत विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदर्श पी. 64 में लेख Post Oprated crush injury ankle with foot with fracture olecranon त्रुटिपूर्ण लेख है। अतः स्पष्ट है कि प्रदर्श पी. 64 के विकलांगता प्रमाण के अनुसार आहत के Right Upper Limb and Right Lower Limb में 55 प्रतिशत विकलांगता दर्शित होती है और इस प्रकार यदि हम आवेदक के पूरे शरीर के सापेक्ष उक्त स्थायी निर्योग्यता का निर्धारण करते हैं तो अधिकरण के मत में संपूर्ण शरीर के मान से लगभग 10 प्रतिशत होगा, अतः ऐसी स्थिति में आवेदक को दुर्घटना के परिणामस्वरूप पूरे शरीर के सापेक्ष 10 प्रतिशत की स्थायी निर्योग्यता होना निर्धारित किया जाता है।

23. उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण के अनुसार अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रदर्श पी–64 के आधार पर आवेदक को स्थायी विकलांगता होना प्रमाणित है तथा आवेदक को Right Upper Limb and Right Lower Limb पर आयी उपहतियों के कारण 55 प्रतिशत की स्थायी विकलांगता आना दर्शित होती है, जो पूरे शरीर के सापेक्ष **10 प्रतिशत** की स्थायी विकलांगता है, तद्नुसार उक्त **वाद प्रश्न क्र. 02** का निराकरण किया जाता है।

—:: वाद प्रश्न क्रमांक 03 व 04 का निष्कर्ष एवं उसके आधार ::—

24. उक्त दोनों वाद प्रश्न क्र. 03 व 04 एक दूसरे से परस्पर संबंधित होने से उनका निराकरण एकसाथ किया जा रहा है।

25. उक्त वाद प्रश्न का प्रमाण भार बीमा कंपनी पर होगा और इस संबंध में बीमा कंपनी को स्वयं अपनी साक्ष्य से यह दर्शित करना होगा कि अनावेदक के द्वारा दुर्घटना दिनांक को बीमा पॉलिसी की मूलभूत शर्तों के उल्लंघन में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को चलाया जा रहा था, क्योंकि **न्यायदृष्टांत नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध कांति देवी ए.आई.आर. 2005 (एस.सी.) 2835** में यह अवधारित किया गया है कि ''बीमा कंपनी पर यह तथ्य प्रमाणित करने का भार होता है कि घटना के समय प्रश्नगत वाहन वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति के बगैर बीमा पॉलिसी की सारभूत शर्तों के उल्लंघन में चलाया जा रहा था।'' चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदक क्रमांक—03 के द्वारा उक्त वाद प्रश्न को प्रमाणित करने के लिये कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

26. उक्त संबंध में यह भी विचारणीय है कि प्रकरण में संलग्न प्रश्नगत वाहन की बीमा पॉलिसी की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि दुर्घटना कारित करने वाला वाहन घटना दिनांक को अनावेदक क्र. 03 की बीमा कंपनी के यहां बीमित था, इसी प्रकार रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाहन के मालिक अनावेदक क्र. 02 के नाम से प्रश्नगत वाहन पंजीबद्ध है। इसी प्रकार ड्राईविंग लाईसेंस की छायाप्रति से यह स्पष्ट है कि दुर्घटना दिनांक को प्रश्नगत वाहन के चालक अनावेदक क्र. 01 श्रवण कुमार सेन के पास घटना दिनांक को वाहन चलाने का वैध लाईसेंस था। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि घटना से संबंधित आपराधिक प्रकरण के दस्तावेजों में से जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—04 के अनुसार अनावेदक क्र.01 से पुलिस द्वारा प्रश्नगत वाहन, उसके रजिस्ट्रेशन कार्ड की छायाप्रति, बीमा पॉलिसी की छायाप्रति एवं वाहन चालक का ड्रायविंग लाईसेंस जप्त किया जाना दर्शित है और यही कारण है कि प्रकरण का अभियोग पत्र प्रदर्श पी—02 मोटरयान अधिनियम की इन धाराओं के अंतर्गत पेश नहीं किया गया है, जिससे यह दर्शित हो कि घटना दिनांक को प्रश्नगत वाहन का चालन बिना वैध अनुज्ञप्ति अथवा बीमा पॉलिसी के उल्लंघन में किया जा रहा था। अतः उक्त से स्पष्ट है कि घटना दिनांक को प्रश्नगत वाहन अनावेदक क्र. 03 बीमा कंपनी के यहां बीमित था और उसे बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में चलाया जाना स्थापित नहीं किया जा सकता है। तदानुसार **वाद प्रश्न क्र. 03 व 04** अनावेदक बीमा कंपनी के विरूद्ध **''प्रमाणित नहीं''** के रूप में निष्कर्षित किया जाता हैं।

–:: वाद प्रश्न क्रमांक 05 का निष्कर्ष एवं उसके आधार ::–

27. अधिकरण अब इस प्रश्न पर विचार कर रहा है कि घटना में आहत की योगदायी उपेक्षा थी अथवा नहीं ? उल्लेखनीय है उक्त वाद प्रश्न का प्रमाण भार अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी पर है और अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी द्वारा उक्त वाद प्रश्न के संबंध में यद्यपि कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है, किंतु अनावेदक पक्ष द्वारा इस संबंध में आवेदक साक्षी आशीष कुमार (आ.सा.–01) को दौरान प्रतिपरीक्षण प्रश्नित किया गया है और आवेदक साक्षी आशीष ताम्रकार के द्वारा प्रतिपरीक्षण कंडिका क्र. 4 में यह स्वीकारा गया है कि घटना के समय मोटरसाईकिल में वह, अनुराग एवं शिवम तीन लोग बैठे थे और उन लोगों ने हेलमेट नहीं पहना था और आवेदक बीच में बैठा था। साक्षी के द्वारा इसी कंडिका में न केवल यह स्वीकारा गया है कि घटना रात के 11:30 बजे की है और रात के समय आने जाने वाले वाहनों की लाईट जली रहती है जिससे सामने से जब कोई वाहन आता है तो आंखों में चकाचौंध दिखता है, बल्कि यह भी स्वीकारा है कि जब लाईट सामने से पड़ रही थी, उस समय ऐसा समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा वाहन कैसे आ रहा था। उल्लेखनीय है कि उक्त आवेदक/साक्षी के द्वारा कंडिका क्र. 5 में यह भी स्वीकारा गया है कि टक्कर आमने सामने से हुई है, इस प्रकार आवेदक साक्षी आशीष ताम्रकार (आ.सा.01) के द्वारा प्रतिपरीक्षण में की गई उक्त स्वीकारोक्तियों से यह स्पष्ट होता है कि उक्त दुर्घटना घटित होने में आवेदक/आहत जिस मोटरसाईकिल में यात्रा कर रहा था, उसके द्वारा भी संबंधित वाहन को चलाये जाने में योगदायी उपेक्षा बरती जा रही थी। अधिकरण के मत में उक्त दुर्घटना घटित होने में प्रश्नगत वाहन के साथ–साथ आवेदक/आहत की मोटरसाईकिल चालक द्वारा भी योगदायी उपेक्षा की गई है थी, ऐसे में उक्त दुर्घटना में प्रश्नगत वाहन के चालक और आवेदक/आहत दोनों की क्रमशः 70 व 30 प्रतिशत की योगदायी उपेक्षा होना मान्य की जाती है।

28. उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण के अनुसार अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आवेदक के द्वारा अपने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य प्रमाणित किया है कि दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्र.01 के द्वारा अनावेदक क्र.02 के स्वत्व एवं आधिपत्य के प्रश्नगत वाहन को लोकमार्ग पर तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर दुर्घटना कारित की, जिसके परिणामस्वरूप आवेदक को स्थायी विकलांगता कारित हुई और उक्त दुर्घटना घटित होने में आवेदक/आहत की मोटरसाईकिल चालक के द्वारा भी वाहन को चलाने में योगदायी उपेक्षा बरती गयी है, जिस कारण से उक्त दुर्घटना मे आवेदक/आहत

की भी 30 प्रतिशत की योगदायी उपेक्षा होना भी प्रमाणित पाया जाता है। तदानुसार **वादप्रश्न क्र. 05** का निष्कर्ष **''<u>प्रमाणित है</u>''** के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

<u>—:: वाद प्रश्न क्रमांक 06 के निष्कर्ष एवं उसके आधार ::—</u>

29. उक्त वाद प्रश्न के संबंध में आवेदक आशीष कुमार ताम्रकार (आ.सा.—01) द्वारा अपने आवेदन—पत्र में दुर्घटना के समय अपनी आयु 22 वर्ष होना लेख किया गया है, किंतु उक्त आवेदक साक्षी आशीष कुमार ताम्रकार (आ.सा.01) के द्वारा साक्ष्य में उसकी आयु के संबंध में कोई अभिवचन नहीं किए गए है और न ही अनावेदक द्वारा प्रतिपरीक्षण में आवेदक की साक्ष्य को इस संबंध में प्रश्नित ही किया गया है, किंतु अभिलेख पर प्रस्तुत आवेदक के आशीष कुमार ताम्रकार के आधार कार्ड की छायाप्रति में उसकी जन्मतिथि 27.02.2002 उल्लिखित है एवं विकलांगता प्रमाण पत्र में भी आवेदक की जन्मतिथि 27.02.2002 होना उल्लिखित है, इस प्रकार उक्त दस्तावेजों से घटना दिनांक को आवेदक की आयु 22 वर्ष 02 माह 29 दिन संगणित होती है। चूंकि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत उक्त आधारकार्ड एवं विकलांगता प्रमाण पत्र में लेख जन्मतिथि पर अविश्वास का कोई कारण दर्शित नहीं है और उक्त दस्तावेजों का कोई खण्डन अनावेदक पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः ऐसी स्थिति में उक्त क्लेम प्रकरण के निराकरण के लिये आवेदक की आयु **22 वर्ष** होना मान्य की जाती है।

30. आवेदक आशीष कुमार ताम्रकार (आ.सा.—01) के द्वारा अपने आवेदन—पत्र में दुर्घटना के पूर्व स्वयं के द्वारा प्रायवेट कार्य कर 15,000/—रूपये प्रतिमाह की आय अर्जित करना लेख किया गया है जबकि अधिकरण के समक्ष दी गई साक्ष्य में घटना के पूर्व पेटी बक्सा बनाने का काम कर 30—35 हजार रूपये प्रतिमाह आय अर्जित करना व्यक्त किया गया था, परन्तु इस संबंध में यह अवलोकनीय है कि उक्त आवेदक साक्षी के द्वारा 30—35 हजार रूपये प्रतिमाह आय प्राप्त किए जाने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है, तब ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि आवेदक/आहत प्रायवेट कार्य कर प्रतिमाह 30—35 हजार रूपये की आय अर्जित करता रहा होगा।

31. उक्त संबंध में यह अवलोकनीय है कि जबकि आवेदक आशीष कुमार ताम्रकार (आ.सा.—01) की एक निश्चित आय निर्धारण किये जाने का कोई आधार प्रकरण में अभिलेख पर मौजूद नहीं है तब ऐसी स्थिति में **न्यायदृष्टांत किरण देवी विरुद्ध सुरजीत यादव (2010) 2 एस.सी.सी. 289 एवं रामजीलाल विरुद्ध ओंकारलाल 2004 ए.सी.जे. 238 एम.पी. (डी.बी.)** में यह अवधारित किया गया है कि जहां किसी व्यक्ति की आमदनी सम्यक् रूप से प्रमाणित नहीं हो पाती है, वहां राज्य सरकार

के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की न्यायिक अवेक्षा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 57 के अंतर्गत ली जाकर उसके अनुसार मासिक आय अवधारित की जा सकती है। इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी न्याय दृष्टांत **गोविंद यादव बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2011) 10 एस.सी.सी. 683** एवं नवीनतम न्याय दृष्टांत **सपना विरुद्ध मांगीलाल 2021 ए.सी.जे. 957 (एम.पी.)** में भी प्रतिपादित किया गया है कि जहां आहत की आमदनी के बारे में कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर न हो, वहां दुर्घटना के समय जो न्यूनतम मजदूरी एक मजदूर को दी जाती थी उसे प्रकल्पित आय मानकर क्षतिपूर्ति दिलाया जा सकेगा। इस प्रकार जबकि अभिलेख पर आहत आशीष कुमार ताम्रकार की शैक्षणिक योग्यता अथवा तकनीकी कुशलता का कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, तब आवेदक को दुर्घटना के समय अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य किया जाना स्वीकार किया जाता है और चूंकि दुर्घटना दिनांक 26.05.2024 को शासन द्वारा एक अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करने की न्यूनतम वेतन 10,175/—रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है, तब ऐसी स्थिति में घटना दिनांक को आहत आशीष कुमार ताम्रकार की मासिक आय **10,175/—रुपये** होना प्रमाणित पाया जाता है।

32. उक्त वाद प्रश्न के संबंध में पूर्व विश्लेषण के अनुसार आवेदक के द्वारा अधिकरण के समक्ष यह तथ्य प्रमाणित किया गया है कि घटना दिनांक को अनावेदक क्र. 01 ने अनावेदक क्र. 02 के स्वामित्व के वाहन क्र. एम.पी.—66—सी—3129 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाते हुए आवेदक को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की थी, जिसके परिणामस्वरूप आवेदक आशीष कुमार ताम्रकार को पूरे शरीर के सापेक्ष 10 प्रतिशत की स्थायी विकलांगता कारित हुयी है। साथ ही उपरोक्त विवेचना अनुसार अनावेदक क्र. 03 के द्वारा यह तथ्य प्रमाणित नहीं किया जा सका है कि दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्र. 01 व 02 द्वारा बीमा पॉलिसी का उल्लंघन कर वाहन को चलाया/चलवाया जा रहा था तथा वाद प्रश्न क्रमांक 4 की विवेचना व निष्कर्ष से यह प्रमाणित हुआ है कि उक्त दुर्घटना में आवेदक/आहत पक्ष की भी 30 प्रतिशत योगदायी उपेक्षा रही है, तब ऐसी स्थिति में आवेदक दुर्घटना के परिणामस्वरूप आयी उपहतियों के लिये अनावेदकगण से 70 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी होना प्रमाणित पाया जाता है।

33. पूर्व विश्लेषण के अनुसार उक्त प्रकरण में आवेदक आशीष कुमार ताम्रकार को पूरे शरीर के मान से 10 प्रतिशत की स्थायी विकलांगता आना प्रमाणित पाया गया है और अधिकरण ने उसे अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य किया जाना स्वीकार किया है। ऐसे में निश्चित रूप से अधिकरण के मत में आवेदक को शरीर पर आयी स्थायी विकलांगता के परिणामस्वरूप उसके आय अर्जन की क्षमता में भी कमी

आयी होगी और आवेदक के कार्य की प्रकृति को देखते हुये और उसे आयी स्थायी विकलांगता को देखते हुये अधिकरण के मत में उसके आय अर्जन में 10 प्रतिशत की ही कमी आना मान्य की जाती है।

34. उल्लेखनीय है कि न्यायदृष्टांत **राजकुमार विरुद्ध अजय कुमार (2011) 1 एस.सी.सी. 343** तथा न्यायदृष्टांत **जगदीश विरुद्ध मोहन व अन्य ए.आई.आर. 2018 एस.सी. 1347** तथा न्यायदृष्टांत **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध प्रणय सेठी व अन्य एम.ए.सी.टी. 2017 (4) 137 सु.को.** के मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा स्थायी अपंगता के मामले में भी भविष्यवर्ती अभिवृद्धि दिलाया जाना उचित माना गया है। इसी प्रकार **न्यायदृष्टांत लल्लन विरुद्ध ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2020 ए.सी.जे. 2547** में यह धारित किया गया है कि श्रमिक या मजदूरों के मामलों में भी भविष्य की संभावनाओं के मद में क्षतिपूर्ति राशि दिलायी जानी चाहिये। ऐसे में उक्त न्यायदृष्टांतों में प्रतिपादित विधि से यह स्पष्ट होता है कि आहत स्थायी सेवा एवं फिक्स सेलरी प्राप्त नहीं करता हो और न्यूनतम मजदूरी के आधार पर उसकी आय निर्धारित की गयी है, तब भी वह भविष्य की संभावनाओं के मद में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी होगा। चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक/आहत 22 वर्ष की आयु का है, ऐसी स्थिति में आहत भविष्यवर्ती आय की वृद्धि के रूप में 40 वर्ष से कम आयु वर्ग का होने के कारण भविष्यवर्ती आय की वृद्धि के रूप में 40 प्रतिशत की क्षतिपूर्ति राशि भी प्राप्त करने का अधिकारी है। उल्लेखनीय है कि आवेदक की मासिक आय 10,175/—रूपये प्रतिमाह मान्य की गई है और उसकी आयु 22 वर्ष है, ऐसे में उसकी स्थापित आय 10,175/—रूपये में 40 प्रतिशत राशि का इजाफा भविष्यवर्ती आय की हानि के तौर पर किए जाने पर राशि 4,070/—रूपये प्रतिमाह होती है और इस प्रकार आवेदक की कुल मासिक आय 10,175+4,070=14,245/—रुपये, तद्नुसार वार्षिक आय **14,245X12=1,70,940/—रुपये** होगी।

35. आवेदक आशीष कुमार ताम्रकार को पूर्व विश्लेषण के अनुसार गंभीर उपहति आने से स्थायी अपंगता कारित हुई है और अभिलेख पर संपूर्ण शरीर के मान से आवेदक को 10 प्रतिशत की स्थायी अपंगता कारित होना माना गया है, ऐसे में आवेदक की वार्षिक आय 1,70,940/—रूपये से भविष्य के अर्जन क्षमता की कमी 10 प्रतिशत निकालने पर उसकी भविष्य की अर्जन हानि 1,70,940X10%=17,094/—रूपये प्रतिवर्ष होती है। अब चूंकि आवेदक की आयु 22 वर्ष है, ऐसी स्थिति में 21 से 25 की उम्र के लिये 18 के गुणांक का प्रयोग होगा और इस प्रकार आवेदक भविष्य की हानि के रूप में 17,094X18 = **3,07,692/—रुपये** क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्राप्त करने का अधिकारी है।

36. उल्लेखनीय है कि आवेदक आशीष कुमार ताम्रकार के कथन एवं चिकित्सीय प्रमाण–पत्र से यह तथ्य प्रमाणित हुआ है कि उसे दुर्घटना में अस्थिभंग हुआ है और उसका लंबे समय तक इलाज हुआ है, ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि आवेदक उसके दाये हाथ में हुये अस्थिभंग से कम से कम 02 माह तक स्वस्थ न हो पाने से अपने कार्य पर नहीं जा पाया होगा। अतः वह 02 माह की आय की हानि अर्थात **10,175X2=20,250/–रुपये** भी प्राप्त करने का अधिकारी है। इसके अतिरिक्त आवेदक/आहत् चोट के कारण हुई शारीरिक पीड़ा एवं वेदना के मद में **30,000/–रुपये,** पौष्टिक आहार के मद में **25,000/–रुपये** तथा अटेंडर खर्च के मद में **10,000/–रुपये** भी क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्राप्त करने का अधिकारी होना पाया जाता है। इसके साथ ही न्यायदृष्टांत **बेंसन जार्ज विरुद्ध रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य सिविल अपील क्रमांक 5040/22 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2022** को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को रमणीयता एवं आनंद में कमी (Loss of Amenities & Happiness) के मद में **20,000/–रुपये** दिया जाना भी न्यायोचित प्रतीत होता है।

37. उल्लेखनीय है कि आवेदक/आहत के द्वारा दुर्घटना दिनांक को स्वयं को उपहतियां होने के संबंध में सिंगरौली हॉस्पिटल का बिल दिनांक 28.05.2024 राशि 6550/–रूपये प्रदर्श पी 33, रेड क्रास ब्लड बैंक की बिल रसीद दिनांक 27.05.2024 राशि 2100/–रूपये प्रदर्श पी 34, सांई डायग्नोस्टिक सेंटर की बिल रसीद दिनांक 27.05.2024 राशि 7000/–रूपये प्रदर्श पी 35, सिंगरौली हॉस्पिटल की रसीद दिनांक 27.05.2024 राशि 5000/–रूपये प्रदर्श पी 36, सत्या मेडिकोज स्टोर के दवाई का बिल दिनांक 12.06.2024 राशि 2457/–रूपये व सिंगरौली हास्पिटल की इनवाईज दिनांक 27.05.2024 राशि 2850/–रूपये, राशि 50/–रूपये, राशि 50/–रूपये, राशि 2900/–रूपये, राशि 55/–रूपये राशि 630/–रूपये, राशि 148/–रूपये, राशि 2169/–रूपये, इनवाईज दिनांक 28.05.2024 राशि 3600/–रूपये, राशि 220/–रूपये प्रदर्श पी 38, एम्बुलेंस का बिल राशि 17000/–रूपये प्रदर्श पी 39, एम्बुलेंस का बिल राशि 16,000/–रूपये प्रदर्श पी 40, सिंगरौली हास्पिटल की इनवाईज दिनांक 28.05.2024 राशि 287/–रूपये, राशि 170/–रूपये, इनवाईज दिनांक 27.05.2026 राशि 109/–रूपये प्रदर्श पी 41, एम्बुलेंस का बिल राशि 16,000/–रूपये प्रदर्श पी 42, त्रिवेणी हेल्थ केयर का फाईनल बिल दिनांक 06.06. 2024 राशि 2,48,680/–रूपये प्रदर्श पी 46, त्रिवेणी हेल्थ केयर फार्मेसी का बिल दिनांक 20.06.2024 राशि 630/–रूपये प्रदर्श पी 47, त्रिवेणी हेल्थ केयर फार्मेसी का बिल दिनांक 06.06.2024 राशि 4130/–रूपये प्रदर्श पी 48, त्रिवेणी हेल्थ केयर फार्मेसी का बिल दिनांक 06.06.2024 राशि 110/–रूपये व बिल दिनांक 04.06.2024

राशि 880/– प्रदर्श पी 49, त्रिवेणी हेल्थ केयर फार्मेसी का बिल दिनांक 30.05.2024 राशि 60/–रूपये व बिल दिनांक 02.06.2024 राशि 970/–रूपये प्रदर्श पी 50, त्रिवेणी हेल्थ केयर फार्मेसी का बिल दिनांक 07.08.2024 राशि 690/–रूपये व बिल दिनांक 04.06.2024 राशि 850/–रूपये प्रदर्श पी 51, त्रिवेणी हेल्थ केयर फार्मेसी का बिल दिनांक 06.07.2024 राशि 4560/–रूपये व बिल दिनांक 06.06.2024 राशि 3090/–रूपये प्रदर्श पी 52, त्रिवेणी हेल्थ केयर फार्मेसी का बिल दिनांक 28.05.2024 राशि 740/–रूपये व बिल दिनांक 05.06.2024 राशि 960/–रूपये प्रदर्श पी 53, त्रिवेणी हेल्थ केयर फार्मेसी का बिल दिनांक 21.06.2024 राशि 690/–रूपये व बिल दिनांक 21.06.2024 राशि 860/–रूपये प्रदर्श पी 54, त्रिवेणी हेल्थ केयर की रसीद दिनांक 07.08.2024 राशि 600/–रूपये व रसीद दिनांक 07.08.2024 राशि 350/–रूपये प्रदर्श पी 55, त्रिवेणी हेल्थ केयर की रसीद दिनांक 06.07.2024 राशि 350/–रूपये व रसीद दिनांक 06.07.2024 राशि 2500/–रूपये प्रदर्श पी 56, त्रिवेणी हेल्थ केयर की रसीद दिनांक 06.07.2024 राशि 600/–रूपये व रसीद दिनांक 06.07. 2024 राशि 500/–रूपये प्रदर्श पी 57, त्रिवेणी हेल्थ केयर की रसीद दिनांक 28.05. 2024 राशि 1300/–रूपये व रसीद दिनांक 06.07.2024 राशि 500/–रूपये प्रदर्श पी 58, त्रिवेणी हेल्थ केयर की रसीद दिनांक 21.06.2024 राशि 12,000/–रूपये व रसीद दिनांक 28.05.2024 राशि 600/–रूपये प्रदर्श पी 59, त्रिवेणी हेल्थ केयर की रसीद दिनांक 21.06.2024 राशि 300/–रूपये व रसीद दिनांक 21.06.2024 राशि 600/–रूपये प्रदर्श पी 60, त्रिवेणी हेल्थ केयर की रसीद दिनांक 28.05.2024 राशि 2400/–रूपये व रसीद दिनांक 21.06.2024 राशि 350/–रूपये प्रदर्श पी 61, मेडिजोन हास्पिटल का बिल दिनांक 04.12.2025 राशि 1,55,802/–रूपये प्रदर्श पी 63 प्रस्तुत किए गए है।

38. उल्लेखनीय है कि आवेदक साक्षी आशीष ताम्रकार (आ.सा.–01) द्वारा प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्र. 7 में यह स्वीकारा गया है कि उक्त प्रस्तुत बिलों में से प्रदर्श पी 36 की राशि प्रदर्श पी 33 के बिल में समायोजित की गई है, ऐसे में उक्त प्रदर्श पी 36 की राशि 5,000/–रूपये का भुगतान पृथक से नहीं किया जा रहा है। उक्त बिलों के संबंध में अनावेदक बीमा कंपनी के अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि स्वयं आवेदक साक्षी के द्वारा यह स्वीकारा गया है कि प्रदर्श पी 38, 39, 41 व 48 लगायत 61 के बिलों में न तो किसी के हस्ताक्षर है और न ही भुगतान की सील लगी हुई है ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त चिकित्सीय बिलों का भुगतान उसे नहीं किया जा सकता क्योंकि आवेदक अधिवक्ता अनुसार उक्त चिकित्सीय बिल आवेदक/आहत के ईलाज के ही बिल होना मान्य नहीं किया जा सकता है। जहां तक उक्त बिलों के आवेदक/आहत के दुर्घटना संबंधी बिल न होने

का प्रश्न है, उल्लेखनीय है कि उक्त बिल घटना के बाद से आवेदक/आहत के अस्पताल के बिल है, जिन्हें आवेदक द्वारा प्रस्तुत चिकित्सीय रिर्पोटों के संदर्भ में आवेदक को आयी चोटों के लिए अस्वाभाविक होना नहीं माना जा सकता है, जहां तक आवेदक साक्षी द्वारा की गई इस स्वीकारोक्ति का प्रश्न है कि प्रदर्श पी. 42 में उसके नाम का उल्लेख नहीं है, इस संबंध में यह अवलोनीय है कि उक्त प्रदर्श पी. 42 में लगा हुआ बिल एम्बुलेंस से संबंधित है और उस पर आवेदक का नाम उल्लेखित नहीं है इसी प्रकार प्रदर्श पी. 39 और प्रदर्श पी. 40 के बिल भी एम्बुलेंस के बिल है जिनमें भी आवेदक का नाम उल्लेखित नहीं है इसलिये उन्हें चिकित्सीय बिल में जोड़ा नहीं गया है। अतः स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में आवेदक/आहत द्वारा प्रस्तुत अन्य सभी चिकित्सकीय बिलों को उसके ईलाज संबंधी बिल होना मान्य किया जाता है तथा उक्त बिलों की कुल योग राशि **4,76,860/—रुपये** को आवेदक/आहत, उसके **चिकित्सा में हुए व्यय** के रूप में प्राप्त करने का अधिकारी होना पाया जाता है।

39. उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण के अनुसार आवेदक आशीष कुमार ताम्रकार उक्त सभी मदों में कुल **3,07,692+20,250+30,000+25,000+10,000+20,000+4,76,860** = **8,89,802/—रुपये (अक्षरी आठ लाख नवासी हजार आठ सौ दो रुपये)** अनावेदक क्रमांक 01 लगायत 03 से संयुक्ततः या पृथकतः प्राप्त करने का अधिकारी होगा। प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व विश्लेषण के अनुसार आवेदक की उक्त दुर्घटना में 30 प्रतिशत की योगदायी उपेक्षा होना प्रमाणित पाया गया है। आवेदक क्षतिपूर्ति राशि **8,89,802/—रुपये का 70 प्रतिशत अर्थात् 6,22,861/— (अक्षरी छः लाख बाईस हजार आठ सौ इकसठ रुपये)** अनावेदक क्र. 01 लगायत 03 से संयुक्ततः या पृथक्तः प्राप्त करने के अधिकारी होगें, **जिसका प्रथम दायित्व अनावेदक क्रमांक—03 बीमा कंपनी का होगा।**

40. प्रकरण में प्रदत्त की गयी राशि पर ब्याज दिलाया जाना आवश्यक है, उल्लेखनीय है कि अधिकरण द्वारा दिये गये ब्याज के संबंध में विभिन्न न्यायदृष्टांतों में अलग—अलग ब्याज दर बताई गयी हैं, परन्तु वर्तमान महंगाई और प्रकरण की परिस्थितियों में आवेदन दिनांक से ब्याज दिलाया जाना उचित है एवं मामला सिविल प्रकृति का है, ऐसे में धारा—35 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों से मार्गदर्शन लेते हुए एवं वर्तमान बैंक की ब्याज दर के प्रकाश में तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **न्यायदृष्टांत वेंसन जार्ज विरूद्ध रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी प्रायवेट लिमिटेड 2022 लॉ सूट सुप्रीम कोर्ट 230** के प्रकाश में प्रकरण में **06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज** की दर से प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है। तदनुसार **वादप्रश्न क्रमांक 06** निष्कर्षित किया जाता है।

–:: वाद प्रश्न क्रमांक 07 का निष्कर्ष ::–

–:: सहायता एवं व्यय ::–

41. उपरोक्त विवेचना के परिणामस्वरूप आवेदक आशीष कुमार ताम्रकार की ओर से प्रस्तुत क्लेम आवेदन–पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये तथा अनावेदक क्रमांक 03 का प्रथम उत्तरदायित्व मानते हुए निम्न आशय का अवार्ड पारित किया जाता है :–

(1) आवेदक, अनावेदक क्रमांक 01 लगायत 03 से संयुक्तः एवं पृथकतः कुल क्षतिपूर्ति राशि **6,22,861/– (अक्षरी छः लाख बाईस हजार आठ सौ इकसठ रुपये)** प्राप्त करने का अधिकारी है अर्थात् आवेदक उक्त राशि अनावेदकगण से वसूल कर सकेगा।

(2) प्रकरण में दिलाई गई संपूर्ण राशि पर माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **सिविल अपील क्रमांक 2526/2012 इनयात राजा साहब अट्टर विरूद्ध शांतवा निर्णय दिनांक 19.02.2020** में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में आवेदन प्रस्तुति दिनांक 09.05.2024 से संपूर्ण अदायगी दिनांक तक 06 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अनावेदकगण, आवेदक को अदा करेंगे।

(3) माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक बी/7344/रजि.(आई.टी.)/2025 आदेश दिनांक 08.10.2025 के पालन में अनावेदकगण, क्षतिपूर्ति की राशि ब्याज सहित यदि कोई हो, अधिकरण के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया स्टेट बॉर कांउसिल उच्च न्यायालय शाखा जबलपुर के खाता क्रमांक **519302010013530** IFSC Code UBIN0551937 में RTGS/NEFT/ERP DASHBOARD के माध्यम से 30 दिवस के भीतर जमा कर न्यायालय को सूचित करें। आवेदक द्वारा बैंक पासबुक एवं आधारकार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत किये जाने पर तथा अधिकरण के खाते में राशि जमा होने पर आदेशानुसार राशि आवेदक के बैंक खाते में **RTGS/NEFT/ERP DASHBOARD** के माध्यम से सीधे भुगतान की जाये।

(4) आवेदक को यदि पूर्व में अंतरिम अवार्ड की राशि अदा की गई हो तो वह राशि कुल अवार्ड राशि में समायोजित की जाये।

(5) क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा होने पर संपूर्ण क्षतिपूर्ति राशि आवेदक को उसके बचत खाता के माध्यम से नगद प्रदाय किये जाये।

(6) अनावेदकगण अपने वाद व्यय के साथ–साथ आवेदक का वाद व्यय भी वहन करेंगे। व्यय तालिका में अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर प्रमाण पत्र के अनुसार या 2,000/–रूपये, जो भी कम हो, जोड़ा जाये।

(7) ''व्यय–तालिका बनायी जाये।''

(8) BAJAJ ALIANZ GENERAL INSURANCE COMPANY PRIVATE LTD. petitioner(S) VERSUS UNION OF INDIA & ORS. Live Law 2021 SC 662 एवं गौहर मोहम्मद विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य सड़क कार्पोरेशन में दिए गये निर्देशानुसार उभयपक्ष अथवा उनके अधिवक्ता द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले ई–मेल आई.डी. के माध्यम से डिजीटली हस्ताक्षरित अधिनिर्णय की प्रति प्रेषित की जावे।

अधिनिर्णय खुले अधिकरण में दिनांकित, हस्ताक्षर उपरांत पारित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही/–
(विवेक कुमार पाठक)
सदस्य, मो.दु.दा.अधि. (पन्द्रहवें)
जिला जबलपुर (म0प्र0)

सही/–
(विवेक कुमार पाठक)
सदस्य, मो.दु.दा.अधि. (पन्द्रहवें)
जिला जबलपुर (म0प्र0)

VIVEK KUMAR PATHAK
Digitally signed by VIVEK KUMAR PATHAK
Date: 2026.08.12 17:56:40 +0530